नेशनल लोक अदालत समझौता नामा

स्थान : श्रीकान्त श्रीवास पीठासीन अधिकारी (खण्डपीठ क्र0–08)
नेशनल लोक अदालत (रायपुर) दिनांक 12.03.2022

01. **न्यायालय का नाम** :– अष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर छ0ग0

02. **प्रकरण क्रमांक** :– दाण्डिक अपील क्रमांक **358/2019**

03. **पक्षकारों का नाम** :– महेश छाबड़ा उर्फ बग्गी वि0 चिराग कम्बाईन्स

महेश छाबड़ा उर्फ बग्गी, उम्र–37 वर्ष,
पिता श्री लालचंद छाबड़ा
निवासी–255, गोकुल वाटिका, कर्मा चौक
लक्ष्मी निवास–रूद्री, रोड
जिला धमतरी (छ0ग0) ....:– **अपीलार्थी/अभियुक्त**

–:: विरूद्ध ::–

चिराग कम्बाइन्स,
द्वारा–प्रोपराईटर/प्रबंधक
हिमांशु बटाविया, उम्र–40 वर्ष
पिता–श्री नेमचंद बटाविया
निवासी–एच.पी. पेट्रोल पम्प
(जैन पेट्रोल पम्प के बाजू)
आमानाका, जी.ई. रोड
थाना–आमानाका, जिला रायपुर (छ0ग0)...............:– **उत्तरवादी/परिवादी**

04. **प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:–** उत्तरवादी/परिवादी ने न्यायालय श्री अनंत दीप तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत् अपीलार्थी/अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध 94,991/–रूपये (अक्षरी चौरनबे हजार नौ सौ इन्कानबे रूपये) के चेक क्रमांक 583763, दिनांक 12.11.2012 के अनादरण का प्रकरण (प्रकरण क्रमांक–540/2013, चिराग कम्बाईन्स विरूद्ध महेश छाबड़ा व अन्य) प्रस्तुत किया था। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त क्र0–1 महेश छाबड़ा को 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है, उक्त

निर्णय व्यथित एवं क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त महेश छाबड़ा क्र0–1 द्वारा धारा 374(3)(क) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत् अपील प्रस्तुत किया गया हैं।

05. सुलहनामें की शर्ते :– अपीलार्थी एवं उत्तरवादी ने आपसी राजीनामा कर लिये है जिसके अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त क्र0–1 महेश छाबड़ा एवं उत्तरवादी/परिवादी ने बिना किसी डर, दबाव या लालच के न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिये है। जिस पर अपीलार्थी/ अभियुक्त क्र0–1 महेश छाबड़ा ने भी अपनी सहमति व्यक्त किया। उत्तरवादी/परिवादी द्वारा पूर्ण संतुष्टि में राजीनामा होना एवं राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन कर उक्त आशय की टीप आदेश पत्रिका के हासिये में लिखा गया है।

उभयपक्ष द्वारा पुछताछ पर राजीनामा की पुष्टि किया गया। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

सदस्यगण

(श्रीकान्त श्रीवास)
नेशनल लोक अदा0 खंडपीठ क्र.–08
अष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

01. श्री सूर्यकांत कश्यप अधि.

02. श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा अधि.